



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072021-228115
CG-DL-E-05072021-228115

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2496]
No. 2496]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 5, 2021/ आषाढ़ 14, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 5, 2021/ASHADHA 14, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2021

का.आ. 2697(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 25, सितम्बर 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3300 (अ) तारीख 24 सितम्बर 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, अमर उजाला और दैनिक जागरण में तारीख 06 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए औरैया जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं०	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(बिधूना)	(कन्हौ)	1061	निजी	कृषि	0.0090	राम सिंह, सुरेश सिंह, अर्जुन सिंह, भारत सिंह पुत्रगण खुमान, सुरजा देवी पत्नी खुमान, कृपाल सिंह, तेज सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्रगण मंगल।
			1060	निजी	कृषि	0.1000	जिलेदार सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह, जय सिंह, रामू सिंह, राजू सिंह पुत्रगण बाबू सिंह।
			1059	निजी	कृषि	0.0680	जिलेदार सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह, जय सिंह, रामू सिंह, राजू सिंह पुत्रगण बाबू सिंह।
			1058	निजी	कृषि	0.0330	जिलेदार सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह, जय सिंह, रामू सिंह, राजू सिंह पुत्रगण बाबू सिंह।
			993	निजी	कृषि	0.0144	विश्वनाथ सिंह, मुनीन्द्र सिंह पुत्रगण हेतराम।
			1026	निजी	कृषि	0.0240	जिलेदार सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह, सुनील कुमार पुत्र महेश सिंह, जय सिंह, रामू सिंह, राजू सिंह पुत्रगण बाबू सिंह।
			1378मि०	निजी	कृषि	0.2820	ज्ञान सिंह, बदन सिंह पुत्रगण महादेव, करन सिंह, राम प्रकाश पुत्रगण अनोखेलाल, रामदर्शनी पत्नी अनोखेलाल, राजपाल पुत्र हरी सिंह, राजरानी पत्नी हरी सिंह।
			1375मि०	निजी	कृषि	0.0120	श्यामवीर सिंह पत्र मन्नू सिंह।
			1381मि०	निजी	कृषि	0.0380	राम सिंह, सुरेश सिंह, अर्जुन सिंह, भारत सिंह पुत्रगण खुमान, सुरजा देवी पत्नी खुमान।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2163]
ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2021

S.O. 2697(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3300 (E), dated the 24th September 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th September, 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Amar Ujala and Dainik Jagran dated the 06th October, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Auraiya in the State of Uttar Pradesh.

SL. No.	Taluka	Village	Survey number	Type	Nature	Area (in hectares)	Name of the land owner/ interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bidhuna	Kanho	1061	Private	Agricultural	0.0090	Ram Singh, Suresh Singh, Arjun Singh, Bharat Singh S/o Khuman, Surja Devi W/o Khuman, Kripal Singh, Tez Singh, Mahendra Singh S/o Mangal.
			1060	Private	Agricultural	0.1000	Jiledar Singh S/o Laxman Singh, Jay Singh, Ramu Singh, Raju Singh S/o Babu Singh.
			1059	Private	Agricultural	0.0680	Jiledar Singh S/o Laxman Singh, Jay Singh, Ramu Singh, Raju Singh S/o Babu Singh.
			1058	Private	Agricultural	0.0330	Jiledar Singh S/o Laxman Singh, Jay Singh, Ramu Singh, Raju Singh S/o Babu Singh.
			993	Private	Agricultural	0.0144	Vishvanath Singh, Munindra Singh S/o Hetram.
			1026	Private	Agricultural	0.0240	Jiledar Singh S/o Laxman Singh, Sunil Kumar S/o Mahesh Singh, Jay Singh, Ramu Singh, Raju Singh S/o Babu Singh.
			1378मि०	Private	Agricultural	0.2820	Gyan Singh, Badan Singh S/o Mahadev, Karan Singh, Ram Prakash S/o Anokhe Lal, Ram Darshani W/o Anokhe Lal, Rajpal S/o Hari Singh, Rajrani W/o Hari Singh.
			1375मि०	Private	Agricultural	0.0120	Shyamveer Singh S/o Mannu Singh.
			1381मि०	Private	Agricultural	0.0380	Ram Singh, Suresh Singh, Arjun Singh, Bharat Singh S/o Khuman, Surja Devi W/o Khuman.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2163]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)